अध्याय II

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करना या उस पर टिप्पणी जारी करता है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा एक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए।

2.2. सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ पठित धारा 96 तथा 145 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रत्येक वर्ष आयोजित इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत करने होते है।

> वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जून/जुलाई 2015 के दौरान की गई थी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सूचीबद्ध करार के खंड 41 में प्रावधान किया जाता है कि स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध सभी इकाइयों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 'सीमित समीक्षा' के बाद अपनी त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा (क्यूएफआर) को प्रकाशित करना चाहिए। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तिमाही की समाप्ति के दो महीने के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होती है। एक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की सीमित

समीक्षा तदनुसार की जानी है ताकि परिणामों का प्रकाशन वर्ष के अगस्त के अंत तक किया जा सके। सीपीएसईज को कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्यूएफआर बनवाकर प्राप्त करने का विकल्प है।

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के समय से अनुपालन को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों के लिए वर्ष 2015-16 के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जून/जुलाई 2015 के दौरान की गई थी।

2.3 सीपीएसईज द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों के विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्त विवरण उक्त एजीएम को उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है ।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के साथ अननुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित पर दंड और कारागार जैसी शास्ति के लगाने का भी प्रावधान है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अननुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सहित चूककर्ता व्यक्तियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि विभिन्न सीपीएसईज के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

601 सरकारी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से 99 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

31 मार्च 2016 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 410 सरकारी कम्पनियां तथा 191 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां थीं। जिनके वर्ष 2015-2016 के लेखे बकाया थे। 30 सितम्बर 2016 को या इससे पहले कुल 341 सरकारी कम्पनियों तथा 161 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 69 सरकारी कम्पनियों तथा 30 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं में ब्यौरा निम्नलिखित तालिका 2.1 में दिया गया हैं:

तालिका 2.1: सीपीएसई के संबंध में बकाया का विवरण

विवरण	सरकारी कम्पनी			सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी			कुल		
	सूचीबद्ध	गैर सूचीबद्ध	कुल	सूचीबद्ध	गैर सूचीबद्ध	कुल	सूचीबद्ध	गैर सूचीबद्ध	कुल
2015-16 हेतु कम्पनियों के बकाया लेखे	51	359	410	8	183	191	59	542	601
30 सितम्बर 2016 द्वारा सीएजी की	50	291	341	8	153	161	58	444	502

लेखापरीक्षा हेतु कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे										
प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	-		1	1	-	2	2	-	3	3
बकाया लेखे	1		67	68	-	28	28	1	95	96
बकाया का विभाजन	(i) परिसमापन अधीन	-	21	21	-	8	8	-	29	29
	(ii) निष्क्रिय	-	3	3	-	6	6	-	9	9
	(iii) अन्य	1	43	44	-	14	14	1	57	58
अन्य श्रेणी के प्रति बकाया का अवधि वार विश्लेषण	एक वर्ष (2015-16)	1	27	28	-	9	9	1	36	37
	दो वर्ष (2014-15 और 2015-16)	-	10	10	-	2	2	-	12	12
	तीन वर्ष और अधिक	-	6	6	-	3	3	-	9	9

परिशिष्ट ।। क और परिशिष्ट ।। ख में इन कम्पनियों के नाम दर्शाए गए हैं।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जिनके मामले में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, चार[19] ने समय पर अर्थात 30 सितम्बर, 2016 से पहले लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2015-16 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखे जनवरी 2017 में प्राप्त हुए। केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के मामले में, सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की है तथा लेखा समय पर प्राप्त हुए थे।

[19] भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 चयनित सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा

सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनी गई सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों, यदि कोई है, को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, सीएजी ने 'तीन चरणीय लेखापरीक्षा' की प्रणाली आरंभ की। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नई लेखापरीक्षा पहुंच के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए 'सूचीबद्ध', नवरत्न, 'मिनीरत्न' और 'सांवधिक निगमों' की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले चुने गए सीपीएसईज में लागू किया गया था:

- सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी संप्रेषण और समन्वित पहुंच स्थापित करना।

- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उजागर करना और सीपीएसईज के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से

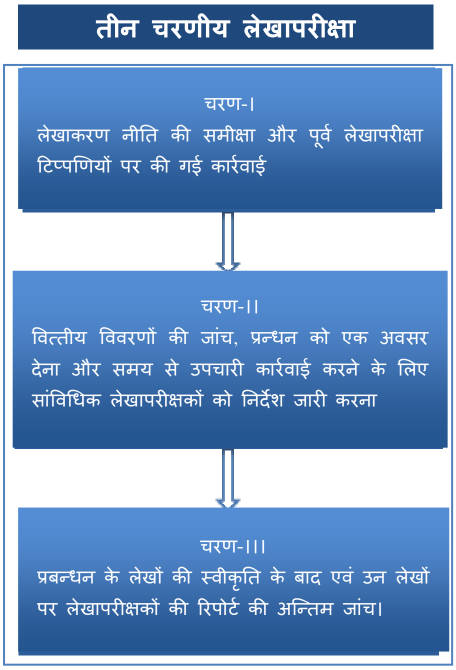

उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।

- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

इस प्रकार, तीन चरणीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों में सुधार के लिए सीपीएसईज के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाती है।

तीन चरणीय लेखापरीक्षा के चरण-I और चरण-II के अन्तर्गत लेखापरीक्षा टिप्पणियां प्रारंभिक टिप्पणियों के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत उप-निर्देश के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है जो वही है जैसा पहले किया जाता था।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 87 सीपीएसईज ने अपने वित्तीय विवरणों में अनेक परिवर्तन किए गए थे जिसके कारण इन सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2015-16 के लिए इन सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

तीन चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव

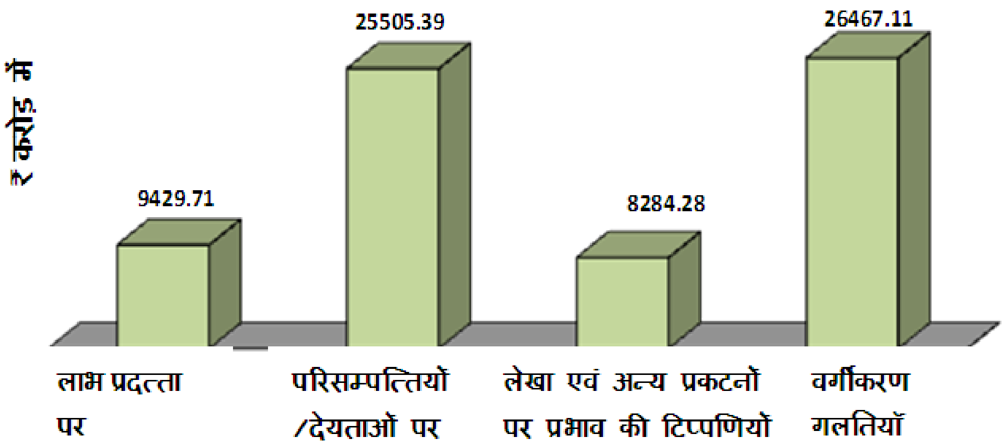

सीपीएसईज़ जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया:

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1.	भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड
2.	जनरल इन्श्योरेंश कार्पोरेशन आफ इंडिया
3.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
4.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
5.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7.	एनएचपीसी लिमिटेड
8.	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
9.	एनटीपीसी लिमिटेड
10.	आयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
11.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया
13.	रूरल इलैक्ट्रीफीकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
15.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड

2.5.2 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

> **सीएजी ने वर्ष 2015-16 के लिए 312 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।**

वर्ष 2015-16 के वित्तीय विवरण 341 सरकारी कम्पनियों (50 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित), 161

सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों (8 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) तथा पाँच सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से जोखिम आकलन के आधार पर 229 सरकारी कम्पनियों और 83 सरकार नियंत्रित कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सारांशतः, सीएजी ने 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त लेखाओं में से 67 *प्रतिशत* सरकारी कम्पनियों और 52 *प्रतिशत* सरकार नियंत्रित कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

2.5.3 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2015-16 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

सूचीबद्ध कंपनियाँ

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आईएफसीआई लिमिटेड	• डूबत और शंकित परिसंपत्तियों के लिए भत्ते ₹ 66.28 करोड़ तक कम बताये गये। • आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार, मैसर्स जंगीपुर बंगाल मैगा फूडपार्क लिमिटेड को दिया गया ऋण उप मानक परिसंपति थी, इसी प्रकार, 10 *प्रतिशत* की दर पर प्रावधान किया जाना था जबकि प्रावधान केवल 5 *प्रतिशत* का बनाया गया जिसके कारण ₹ 2.21 करोड़ का कम प्रावधान हुआ। • ऋणों की पुन: संरचना के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन द्वारा अधिग्रहित इस्सार स्टील लिमिटेड, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और पोलीजेंटा टैक्नोलॉजिज लिमिटेड के गैर उद्धृत इक्विटी शेयर नये गैर-चालू निवेश के रूप में माने गये थे। इन निवेशों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाजन मूल्य पर निर्धारित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.05 करोड़ तक निवेश मूल्य में कमी के प्रावधान को कम बताया गया।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दूरसंचार विभाग द्वारा की गई मांग के अनुसार 2007-08 से 2010-11 और 2012-13 की अवधि से संबंधित लाइसेंस फीस के गैर प्रावधान के कारण ₹ 590.90 करोड़ की लाइसेंस फीस कम बताई गई।
स्टील अथारीटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	स्टील उद्योग हेतु अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई सोसाइटी 'स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडिया के संस्थापक सदस्य के रूप में प्रवेश फीस के कम्पनी के भाग को न जोडने के कारण अन्य चालू देयताएं ₹33.95 करोड़ कम बताये गये।
द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एएस-9 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ग्लोबल स्टील फिलीपिंस इंक/ ग्लोबल स्टील होल्डिंग लिमिटेड से वसूली योग्य बकाया देय पर ब्याज सहित 'अन्य आय' में ₹ 228.33 करोड़ शामिल थे।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पण
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	कंपनी द्वारा फाइल की गई सेवाकर रिटर्न और वित्तीय विवरणों में दर्शाए उपलब्घ 'सेनवेट क्रेडिट' के अन्तर में समाप्त नहीं किया गया था।
ऑयल तथा नेच्यूरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	क्षतिपूर्ति प्रावधानों के अयोग्य व्यूत्क्रमण के कारण विकास के अंतर्गत अमूर्त संपत्ति को ₹ 897.96 करोड़ तक कम बताया गया।
स्टील अथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात मंत्रालय के अन्तर्गत इस्पात विकास निधि को देय 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 88 करोड़ की वार्षिक नकद प्रतिबद्धता के बकाया को दीर्घ अवधि देयता के रूप में माना गया।
द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	वसूली की कम दर और उपयुक्त सुरक्षा की कमी के मद्देनजर बकाया सहित व्यापार प्राप्य राशियों को अच्छा नहीं माना गया • 2008- 2010 की अवधि के दौरान निर्यातित स्टील स्लैब के संबंध में ग्लोबल स्टील फिलीपिंस इंक/ग्लोबल स्टील होल्डिंग लिमिटेड से वसूली योग्य- ₹ 1740.42 करोड़।

	• कॉपर बियरिंग सामग्री के आयात/ खरीद हेतु मैसर्स झगड़िया कॉपर लिमिटेड से 2010 तक वसूली ₹ 122.77 करोड़

प्रकटन पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पण
पावर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड	माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के आदेशानुसार 'पुन: गठित उप-मानक' के स्थान पर पुन: गठित मानकों के रूप में मानी गई टिप्पण संबंधी परिसंपत्ति घोषित लेखांकन नीति से विचलन के कारण प्रभाव को प्रकट नहीं किया। यदि परिसंपत्ति को 'प्रतिबंधित उप-मानक' के रूप में माना जाता (i) जो ब्याज आय जिसको पहचाना नहीं गया था: ₹ 328.78 करोड़ और (ii) अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक है- ₹ 276.37 करोड़ भी प्रकट नहीं किये गये थे।
स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	पलैट निर्माण द्वारा ₹ 139.65 करोड़ के किए गए दावे आकस्मिक देयता के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पण
एनटीपीसी लिमिटेड	सांविधिक बकाया की विवादित मांग के संबंध में उपयुक्त अधिकारियों को ₹ 6545.43 करोड़ की जमा राशि की सूचना नहीं दी गई थी।

❖ **गैर सूचीबद्ध कम्पनियां**

लाभ प्रदत्ता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पण
इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2014-15)	• उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को देय विद्युत प्रभारों के प्रति ₹ 270.47 करोड़ की चुकाई गई राशि के प्रति केवल ₹ 126.54 करोड़ के प्रति प्रावधान के लिए बकाया ₹ 143.93 करोड़ तक चालू देयताओं को कम बताया गया।

	• सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्यूरिटी फोर्स के मूल बकाया पर देय ब्याज के प्रति ₹ 23.99 करोड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
कोलकाता मैट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	• चालू कर व्यय में लघु अवधि जमा पर ब्याज आय के प्रति देय आय कर शामिल नहीं किया गया ₹-12.01 करोड़ • प्रतिलिखित विगत वर्ष से संबंधित कराधान के लिए प्रावधान ₹-10.86 करोड़
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	• निम्नलिखित के कारण कर के बाद लाभ कम बताया गया : • नेपाल भूकंप दावों के विषय में पुन: बीमाकर्ताओं से पुन:बीमा के गैर लेखा के कारण -₹ 35.95 करोड़ • पूंजी व्यय की अपेक्षा राजस्व व्यय के रूप में खरीदी गई आईटी परिसंपत्तियां का शामिल करना - ₹ 8.94 करोड़

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कम्पनी केवल इंडिया मार्केट टेररिज्म रिस्क इंश्योरेंस पूल की एक मनैजर है, इस प्रकार, टेररिज्म पूल परिसम्पत्तियां (टीपी) और टीपी देयताएं कम्पनी से संबंधित नहीं है। शीर्ष चालू परिसंपत्तियां और चालू देयताओं के अन्तर्गत टीपी परिसंपत्तियों और देयताओं के क्रमश: ₹ 5547.53 करोड़ के कारण उक्त राशि द्वारा दोनों चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं में अधिक बताए गए।
नेशनल बैकवर्ड क्लासिज फाइनैंस एंड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन	अवधि ऋण और माइक्रो फाइनैंस पर देय न होकर प्रोदभूत ब्याज (₹ 4.41 करोड़) और प्राप्य ब्याज (₹41.93 करोड़) जो चालू परिसंपत्तियों की प्रकृति के नहीं थे, के शामिल होने के कारण ऋण और अग्रिम अधिक बताये गये थे।

नेशनल शेडयूडलड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन	• मूर्त परिसंपतियां - स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर नई दिल्ली के भवन प्रणाली उन्नयन कार्य की लागत न जोडने के कारण ₹61.54 करोड़ तक बिल्डिंग लीजहोल्ड कम बताये गये। • ऋण और अग्रिम के अंतर्गत शामिल किये गये ₹ 29.59 करोड़ के ब्याज प्राप्य चालू परिसंपत्तियों की प्रकृति के थे।
ओएनजीसी पेट्रो एडीसंस लिमिटेड	• जनवरी 2015 से मार्च 2016 की अवधि हेतु मै. गुजरात केमीकल पोर्ट टर्मिनल कम्पनी लिमिटेड को देय नपथा हेतु भंडारण रेंटल प्रभार के शामिल न करने के कारण ₹ 14.70 करोड़ की अन्य चालू देयताएं कम बताई गई • लीजहोल्ड लैंड की उपयोगपूर्ण अवधि में संशोधन के कारण, 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिए अंतरीय मूल्यह्रास को पूर्व अवधि मदों से प्रतिलिखित करना लेखांकन मानक 6 के अनुसार नहीं था, जिसे लीजहोल्ड लैंड को अधिक तथा पूंजीगत प्रगति कार्य को कम बताया गया था। • संयंत्र और मशीनरी की संरचना, स्थापना और संस्थान के ₹ 102.84 करोड़ को बिल्डिंग के रूप में माने जाने के कारण बिल्डिंग को अधिक बताया गया और संयंत्र और मशीनरी को कम बताया गया। दीर्घाविधि ऋण और अग्रिम निम्नलिखित के पास जमा कराने के कारण अधिक बताये गये थे। • मै. गुजरात इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन में पाईपलाईन निर्माण कार्य पूरा हो चूका था; के कार्यान्वयन के प्रति - ₹ 35.05 करोड़ • मै. टोरेंट एनर्जी लिमिटेड में टारेंट एनर्जी से एचटी सेवा पावर लाईव करने के लिए जो पुरा हो चूका है, के लिए - ₹ 6.50 करोड़

प्रकटन पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	सहायक कम्पनियों के संबंधित पार्टियों के ऋण और अग्रिम में शामिल, महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो निष्क्रिय कम्पनी है और जिसके वित्तीय विवरण 2010-11 से अनुरक्षित और मिलान करके नहीं रखे गए थे, से वसूली योग्य ₹ 25.30 करोड़ (ऋण के प्रति ₹ 12.16 करोड़ और ब्याज के प्रति ₹ 13.14 करोड़) शामिल किए गए थे, इसको दर्शाया नहीं गया था।
इरकॉन शिवपुरी टॉलवे लिमिटेड	नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया के साथ किए गए कन्सेशंन समझौते के अनुसार निश्चित किए गए इस्क्रो लेखो से संबंधित बैंक में बकाया शेष (चालू खाता ₹ 36.94 करोड़ और निश्चित जमा ₹ 1.40 करोड़) को प्रकट नहीं किया गया था।
कमराजर पोर्ट लिमिटेड	नमक विभाग से कम्पनी द्वारा अधिग्रहित 647.66 एकड़ भूमि अनुभाजन में से 1.84 एकड़ भूमि को पहले ही तमिलनाडु सरकार द्वारा मैं; जोरी सीमेंटस को लीज पर दिया जा चूका था। कम्पनी ने उक्त लीज को निरस्त करने के लिए तमिलनाडू सरकार को अपील दायर की थी। इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया।
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	राजीव गांधी जीवनोदय आरोग्य योजना नीतियों को लागू करते समय पैनल वाले अस्पतालों के दावों के भुगतान में विलंब के कारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए ₹ 37.65 करोड़ के निर्णित हर्जानों की मांग को प्रकट नहीं किया गया था।
नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	पूंजीगत खाते पर लागू किए जाने के लिए शेष ठेकों के ₹ 13.69 करोड़ की संभावित राशि और न दी गई राशि को प्रकट नहीं किया गया था।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	वर्ष 2014-15 हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अन्तर्गत कम्पनी के लेखों पर सीएजी की टिप्पणियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के रूप में कम्पनी के वार्षिक सामान्य बैठक में रखने की अपेक्षा 'परिशिष्ट-I' के रूप में वर्ष 2014-15 की निदेशक रिपोर्ट में शामिल की गई थी।
रेल विकास निगम लिमिटेड	एसपीवी मैसर्स कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिए गए पालनपुर समाखली परियोजना से संबंधित ₹ 42.40 करोड़ की ठेका राजस्व राशि निर्माण समझौते के हस्ताक्षर किए गए बिना खाते में दर्शाया गया। इसको प्रकट नहीं किया गया।
सेल राईप्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	कम्पनी ने यह प्रकट नहीं किया "रखे गए शेयर की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए 5 *प्रतिशत* शेयरों से अधिक वाले प्रत्येक शेयर धारक का कम्पनी में भाग"

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
एजुकेशनल कंसल्टैंट इंडिया लिमिटेड	विविध देनदारों के बकाया और ट्रेड प्राप्य की सभी पार्टियों के संबंध में पुष्टि नहीं की गई थी।
नाबार्ड कंसल्टैंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	कम्पनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावकारिता पर टिप्पणियां नहीं की गई थी।

- **गैर-सूचीबद्ध सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां**

लाभ प्रदत्ता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
अरावली पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	कम्पनी ने योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अपनी लेखाकरण नीति को परिवर्तित कर दिया और इसे निर्धारित परिसंपत्तियों के रूप में पुन: वर्गीकृत कर दिया । 31 मार्च 2015 तक दिया गया मूल्य ह्रास को प्रतिलिखित किया गया था और केन्द्रीय विद्युत नियामक कमीशन टैरिफ विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट

	दरों को पूर्व प्रभाव से पुन: गणना की गई। कम्पनी द्वारा अपनाया गया व्यवहार आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्श समिति के विचारानुसार नहीं था जिसके कारण ₹ 41.32 करोड़ तक मूर्त परिसंपत्तियां का अधिक कथन हुआ।

❖ सांविधिक प्राधिकरण जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक प्राधिकरण जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, के संबंध में सीएजी द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

एयरपोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया

(i) श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हेतु जे एंड के पुलिस के एंटी हाईजैकिंग व्यय के भुगतान हेतु बनाये गये अधिक प्रावधान के कारण ₹ 21.73 करोड़ तक ट्रेड देय अधिक बताये गये थे।

(ii) 1997-98 से 2015-16 की अवधि के दौरान ली गई मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं की लागत के प्रति भारतीय मौसमविज्ञान विभाग को देय राशि के रूप में बकाया के ₹ 57.06 करोड़ ट्रेड देय कम बताये गये।

(iii) अन्य चालू देयताएं और लघुअवधि प्रावधान निम्नलिखित हेतु देयता के गैर प्रावधान के कारण ₹ 11.14 करोड़ तक कम बताये गये:

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1	गगन कांट्रैक्ट के अंतर्गत सॉफ्टवेयर प्रबंधन तकनीकी सहायता	1.47
2	राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हैदराबाद पर ओ एंड एम कार्यालय हेतु लाइसेंस फीस का भुगतान	0.24
3	इसीपीएफ ट्रस्ट से मांग	1.95
4	मार्च 2016 माह के विद्युत प्रभार	0.60
5	वडोदरा हवाईअड्डे पर कपड़े उपस्कर, हथियार और गोलाबारूद की लागत	0.17
6	विशाखापट्नम हवाई अड्डे पर सुंदरता और लैंडस्केपिंग कार्य से संबंधित कार्य	6.71
	कुल	**11.14**

(iv) निम्नलिखित के कारण अन्य चालू देयताओं और लघु अवधि प्रावधानों को ₹ 70.19 करोड़ तक अधिक बताया गया :

क्रम सं..	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	कम्पनी द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरे किये और ग्राहक को सुपुर्द किए गए कार्य से संबंधित ग्राहक से प्राप्त किए गए अग्रिम का गैर समायोजन	1.85
(ii)	डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए तथा अदा किए गए प्रवीणता भत्ते के गैर समायोजन में कर प्रावधान के दोहरे समायोजन निश्चित जमा प्राप्तियों पर ब्याज जोड़ने के कारण निष्पादन संबंधी भुगतान का अधिक प्रावधान	68.34
	कुल	**70.19**

(v) अन्य चालू देयताओं और अल्पावधि प्रावधानों को 2013-14 और 2014-15 के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा मंजूरी प्राप्यो पर देय ₹ 29.95 करोड़ की सेवा कर को सम्मिलित नहीं किया गया था।

वर्ष 2014-15 में भी इस विषय को उठाया गया था लेकिन कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये थे।

(vi) पूंजीगत प्रगति कार्य, गैर-पूंजीकरण के कारण ₹ 52.33 करोड़ रूपये से अधिक दर्शाए गए।

क्रम सं.	**विवरण**	**मूॅल्यराशि**	**मूल्याह्रास की राशि (पूर्व अवधि सहित)**
1.	संयंत्र और उपकरण फ्रीहोल्ड, अर्थात, यात्री बोर्डिंग पुल, सुरक्षा उपकरण, डीवीओआर पर विद्युत कार्य, ब्रीदिंग एअर कंप्रेसर, वीएचएफ ट्रासंमीटर/रीसीवर, सोलर ग्रीप, आईएलएस, एएसएमजीसीएस, मई 2009 और मार्च 2016 के बीच की अवधि के दौरान पूर्ण की गयी परिसंपत्तियों से संबंधित विद्युत कार्य।	47.56	7.63 (₹2.05 करोड़ पूर्व अवधि)
2.	मास्टर क्लॉक सिस्टम-सर्वर, सीआईएसएफ निवास, जल निकासी व्यवस्था, चारदीवारी, इत्यादि	4.77	1.19 (₹0.75 करोड़ पूर्व अवधि)
	कुल	**52.33**	**8.82**

(vii) पूंजीगत प्रगति कार्य ₹ 9.65 करोड़ से कार्यों के पूंजीकरण के कारण अधिक दर्शाए गए थे, जो राजस्व प्रकृति के थे अर्थात, फर्श की टाइल का प्रतिस्थापन, एम्पलीफायर पैनल, दोषपूर्ण एलटी पैनल सहायक उपकरण, एएमसी और प्रशिक्षण प्रभार, आईटी बैकअप साइट के प्रतिबंध पर व्यय, प्रतिबंधित परियोजना पर भुगतान की गयी परामर्श शुल्क, कोलकत्ता विमान पत्तन पर रनवे के पुनर्निर्माण पर व्यय, इत्यादि जिसको व्यय के रूप में प्रभारित किया जाना चाहिए था।

(viii) दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन लिमिटेड (डीआईएएल-₹ 2302.66 करोड़) और मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन लिमिटेड (एमआईएएल-₹ 1066.23 करोड़) की विमान पत्तन पट्टे राजस्व से प्राप्त आय सम्मिलित है। प्रासंगिक अभिलेखों के आभाव मे, खातो की पुस्तको में परिलक्षित विमान पत्तन के पट्टे के राजस्व की यथार्थता को प्राधिकार स्वरूप नहीं दिया जा सका था।

(ix) 43.49 एकड़ मापित अनुभाजित भूमि के हिस्से के संतुलन के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा मांग की गयी राशि के गैर-प्रकटीकरण के कारण ₹ 123.20 करोड़ रूपये की आकस्मिक देनदारियां अल्पदर्शित हुई थी, जो प्राधिकरण के अधिकार के अधीन और चारदीवारी के द्वारा कवर की गयी थी और जिनको न तो अधिगृहित किया गया और न ही हस्तांतरित किया गया था। प्राधिकरण के द्वारा राज्य सरकार से समान हस्तांतरण को लागत मुक्त प्राप्त करने के लिए मांग विवादास्पद हो गयी थी। टिप्पणियों में प्रकटीकरण इस सीमा तक अपूर्ण था।

2.6 लेखांकन मानकों से विचलन

कम्पनी अधिनियम 2013 धारा की 129 (1) और धारा 133 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा यथा प्रस्तुत लेखाकंन मानक 1 से 7 और 9 से 29 का नियम निर्धारित किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि **परिशिष्ट- IV** में ब्यौराबद्ध 14 कम्पनियां अनिवार्य लेखाकंन मानकों से विचलित हुई।

तथापि, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने यह पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखाकंन मानकों का अनुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखांकन मानक		कंपनी का नाम	विचलन
एएस-2	माल सूची का मूल्यांकन	कान्ति बिजली उत्पादन लिमिटेड	कोयले की वार्षिक अनुबंधित मात्रा को नहीं उठाने के लिए कोयला कंपनियों को किया गया दंड का भुगतान माल-सूची की लागत मे जोडा गया था।
एएस - 3	नगद प्रवाह विवरण	पंजाब लोगस्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	15 वर्षों के लिए एचडीएफसी बैंक से प्राप्त आवधिक ऋण (₹ 10 करोड़) वित्तीय गतिविधियों के स्थान पर परिचालन गतिविधियों के रूप में नगद प्रवाह में सम्मिलित किया गया था।
एएस - 5	अवधि के लिए निवल लाभ और हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	कृषि विकास वित्त (तमिलनाडू) लिमिटेड (अब नवकिशान)	ब्याज के संबंध में ₹ 1.96 करोड़ की मूल्यराशि का लेखाकरण और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के माध्यम से पुनप्राप्ति करने के 15 वर्षों बाद भी प्रकट नहीं किया गया।
एएस – 9	राजस्व अभिज्ञान	एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	कंपनी 97 प्रतिशत परियोजना लागत को राजस्व से और 100 प्रतिशत विक्रेताओ द्वारा उठाए गए बिलो की राशि से, दूसरे चरण के पूरा होने पर आठ परियोजनाओं से व्यय के रूप में अर्थात ऑनलाइन परीक्षा के संचालन, 80 प्रतिशत अभिभाव के लिए अपनी लेखांकन नीति के संबंध में प्राप्त किये थे। कंपनी द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राप्त किये गये अग्रिम मे से ₹0.22 करोड़ का लेखांकन किया गया जिसको परादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बाद में रद्द कर दिया गया था। ऑनलाइन परीक्षा गतिविधि के संबंध मे राजस्व के अभिज्ञान से संबंन्धित नई

			लेखाकरण नीति निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं थी और न ही प्रकट की गयी थी।
		नेशनल टैक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन को दिये गये ऋण पर ₹ 8.45 करोड़ का ब्याज (₹21.94 करोड़ पूर्व वर्ष के दौरान) प्राप्त किया गया था।
एएस–10	नियत परिसम्पत्तियों के लिए लेखांकन	एनएचपीसी लिमिटेड	सर्मथ परिसम्पत्तियों पर वहन किया गया ₹ 165.38 करोड़ का व्यय पूंजी कार्य की प्रगति में मूर्त परिसम्पत्तियों के लिए प्रभारित किया गया था।
		एनटीपीसी लमिटेड	कंपनी द्वारा परिसम्पत्तियों पर वहन किया गया ₹204.66 करोड़ रूपये के व्यय का पूंजीकरण मूर्त परिसम्पत्तियों और पूंजी कार्य में प्रगति के अन्तर्गत कंपनी के स्वामित्व में नहीं था।
एएस- 12	सरकारी अनुदानो का लेखांकन	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास कार्पोरेशन	सरकारी अनुदानों और वास्तविक और सरकारी अनुदानों की सीमा के लिए स्वीकार्य लेखांकन नीति को प्रकट नहीं किया गया था।
एएस-13	निवेश का लेखांकन	आईएफसीआई लिमिटेड	इक्विटी शेयर के मूल्यह्रास के संबंध में प्रॉवधान के लिए कंपनी की नीति एएस-13 के अनुसार नहीं थी। पांच कंपनियों के ₹706.17 करोड़ के दीर्घावधि निवेश के संबंध में निवल मूल्य के अपक्षरण, निरन्तर नगद हानियां, प्रति शेयर ऋणात्मक अर्जन, संचित हानियां और निवेश कंपनियों द्वारा वापसी क्रय प्रतिबद्धताओं में न्यूनता के बावजूद कोई प्रावधान नहीं/अपर्याप्त प्रॉवधान बनाए गये थे।
एएस- 15	कर्मचारी लाभ	सेनट्रल कोल्डफील्डस लिमिटेड	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ के संबंध में प्रावधान, बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ₹ 59.01 करोड़ की आवश्यक मूल्यराशि के बजाय ₹ 75.62 करोड़ की मूल्यराशि के लिए एक परिभाषित लाभ योजना बनायी गयी थी।
		भरूच रेल दाहेज	कर्मचारियों के लाभों से संबंधित आवश्यक

		निगम लिमिटेड	प्रकटीकरण नहीं किये गसे थे।
एएस–19	पट्टे	सैन्ट्रल रेलसाइड वैयरहाऊस कंपनी लिमिटेड	किराये पर ऑफिस स्पेस के संबंध में पट्टे दायित्व देनदारियों में भविष्य मे वृद्धि होने पर मान्यता प्राप्त की गयी थी
एएस – 22	आय पर कर	हैल्थ इन्सोरेन्स टीपीए आफ इंडिया लिमिटेड	आस्थगित कर परिसम्पत्तियों संचित हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास पर भविष्य मे पर्याप्त कर योग्य आय अर्जित करने के लिए किसी भी आभासी निश्चितता के बिना बनाये गये थे।
एएस – 29	प्रावधान प्रासंगिक देनदारियां और प्रासंगिक परिसम्पत्तियां	एजूकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड	कंपनी द्वारा अपनायी गयी लेखांकन नीति को प्रकट नहीं किया गया था।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और निगम इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले वयक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसईज के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियॉ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गई थीं। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएं अथवा त्रुटियॉ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी प्रबन्धन को भी बताई गई थी। यह त्रुटियां सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित थीः-

- लेखाकंन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके; और
- कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित सीपीएसई के प्रबन्धन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष 2015-16 के दौरान सीएजी द्वारा 131 सीपीएसईज को प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे।